न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

न अदालत – उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ राज.
जलास – श्री राजेश कुमार नायक R.A.S.

1. श्री वरदीचन्द पिता बगदीराम लोहार आयु 50 वर्ष पेशा काश्त निवासी–पानमोड़ी तहसील प्रतापगढ़ (राज.)

.....वादी

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता लाला जी लोहार आयु 70 वर्ष निवासी पानमोड़ी तहसील – प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री मांगीलाल पिता गुलाबचन्द लोहार आयु 47 वर्ष निवासी पानमोड़ी तहसील – प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री राधेश्याम पिता गुलाबचन्द लोहार आयु 37 वर्ष निवासी प्रतापगढ़ (राज.) पानमोड़ी तहसील –प्रतापगढ़ (राज.)
4. श्री किशोर पिता गुलाबचन्द लोहार ओयु 30 वर्ष निवासी प्रतापगढ़ (राज.) पानमोड़ी तहसील–प्रतापगढ़ (राज.)
5. श्री किशोर पिता मोतीलाल पाटीदार आयु 30 वर्ष निवासी पानमोड़ी तहसील प्रतापगढ़ (राज.)
6. श्रीमती नर्बदा पत्नि मांगीलाल लौहार आयु 32 वर्ष निवासी प्रतापगढ़ (राज.) पानमोड़ी तहसील –प्रतापगढ़ (राज.)
7. श्री गोपाल पिता गोतम गायरी आयु 42 वर्ष निवासी पानमोड़ी तहसील प्रतापगढ़
8. तहसीलदार प्रतापगढ़
9. गीता बाई पत्नि जगदीश पाटीदार निवसी पानमोड़ी

.....प्रतिवादीगण

–:वाद तहत धारा 53 रा0टी0एक्ट :–

मुकदमा नम्बर–166/2002
निर्णय दिनांक :–06/08/2024

संक्षिप्त विवरण प्रकरण यह है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद' पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 से 4 तक के शामलाती खाते कब्जे की निम्नांकित आराजीयात ग्राम पानमोड़ी तह० प्रतापगढ़ में स्थित है :–

आराजी नं0	रकबा	आराजी नं0	रकबा	आराजी नं0	रकबा
401	00.08	411	00.20	412	00.39
413	00.41	414	00.04	451	00.21
416	00.23	471	00.21	799	00.23
845	00.13	847	00.26	851	00.09
852	00.06	860	00.26	862	00.31
863	00.26	864	00.02	851/214	00.04
859/2285	00.10				

यह कि वाद चरण 1 में वर्णित आराजियात में से आ० न० 401 रकबा 00.08 है. एंव आ०न० 413 रकबा 00.41 है. एंव आ०न० 847 रकबा 0.26 में से प्रतिवादी सं० 03 राधेश्याम पिता गुलाबचन्द लौहार ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं० 5 किशोर पिता मोतीलाल पाटीदार को विक्रय कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 किशोर ने जो हिस्सा राधेश्याम प्रतिवादी सं० 03 से क्रय किया था वह आ०न० 401, 413 व 847 का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 06 श्रीमती नर्मदा पत्निं मांगीलाल लौहार को विक्रय कर दिया जो क्रेता के नाम जमाबंदी में अंकित कर दिया गया है। इसी प्रकार वादग्रस्त आराजियात में से आ०न० 862 रकबा 0.31 में से प्रतिवादीगण सं० दो, तीन, चार ने अपना हिस्सा श्री गोपाल पिता गौतम गायरी प्रतिवादी सं० 07 को विक्रय कर दिया जो जमाबंदी में उसके नाम दर्ज है।

वादग्रस्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 01 से 04 के बिच विधिवत बंटवारा, नही हुआ है तथा बगैर बंटवारा हुए ही प्रतिवादी सं० 03 ने व प्रतिवादी सं० 2,3,4 ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है। वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी सं० 03 ने जो आराजीयात प्रतिवादी सं० 05 किशोर को बेची है व किशोर ने प्रतिवादी सं० 06 श्रीमती नर्मदा को विक्रय की है। उसमें भी वादी का व प्रतिवादी सं0 01 का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण सं0 2 से 4 तक ने जो आराजी प्रतिवादी सं० 7 को विक्रय की है।

Scanned with CamScanner

में भी वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी सं0–7 गोपाल का भी 1/3 ता है।

वादी ने प्रतिवादीगण सं0 1 से 7 तक को कई बार बंटवारा कराकर अलग अलग खाता खुलवाने कहा लेकिन प्रतिवादीगंण सहमत नही हुए इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी के पक्ष में वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा किया जाकर वादी को 1/3 स्सा आराजीयात दिलाई जावे तथा प्रतिवादी सं० 1 किशनलाल को 1/3 हिस्सा आराजीयात दिलाई जावे। तिवादी सं0 2 से 4 ने जिस आराजीयात का हिस्सा बेचा है। उसमें से 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 7 को दिलाया वे तथाप्रतिवादी सं० 3 राधेश्याम ने जिन आराजीयात का हिस्सा. प्रतिवादी सं० 05 को विक्रय किया तथा तिवादी सं० 05 ने प्रतिवादी सं० 06 को विक्रय कर दिया इन आराजीयात में जो हिस्सा प्रतिवादी सं० 03 धेश्याम का है। वह प्रतिवादी सं० 06 श्रीमती नर्मदा को दिलाया जावे तथा बंटवारा अनुसार राजस्व रेकार्ड में र्ज कराया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं० 1 की ार से जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए अतः उनके खिलाफ कार्यवाही क तरफा का आदेश दिया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब में वादी के तथ्यों को अस्वीकार किया तथा काउन्टर क्लेम पेश किया कि वादी को पहले ही उसका हिस्सा पूर्व के बंटवारे में मिल चुका है। तथा आराजी नं0 799 रकबा 0.23 उसके हिस्से में आई है। शेष आराजीयात में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2,3,4 का है। अतः वांद वादी खारीज किया जावे तथा काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर आ०न0 799 रकबा 0.23 है0 वादी के हिस्से व कब्जे की घोषित की जावे व शेष आराजीयात में प्रतिवादी सं० 1का 1/2 प्रतिवादी सं0 2,3,4 का 1/2 हिस्सा घोषित किया जावें।

वादी की ओर से काउन्टर क्लेम का जवाब पेश कर काउन्टर क्लेम में वर्णित समस्त तथ्यों को असत्य होना बताया व काउन्टर क्लेम खारीज करने का निवेदन किया

वाद एवं वादोत्तर एवं दस्तावेज के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।–

1. क्या वाद चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की –जिम्मे वादी
2. क्या वाद संख्या 2,3,4 में वर्णित की गई आराजीयात खरीददार एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 14 तक संयुक्त खातेदारी व कब्जे की है।
3. क्या वाद चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से आराजीयात संख्या 401 रकबा 0.08, 493 रकबा 0.89 है 849 रकबा 0.26 में से प्रतिवादी संख्या 03 राधेश्याम ने. अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 किशोर को विक्रय क दिया तथा इन आराजीयात के जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 05 का नाम अंकित क दिया गया है –जिम्मेवादी
4. क्या किशोर ने जो आराजियात प्रतिवादी राधेश्याम से खरीदी थी उसको प्रतिवादी किशोर ने प्रतिवादी संख नर्मदा को विक्रय कर दी तथा जमाबंदी में किशोर के बजाया नर्मदा का नाम अंकित कर दिया गया –जिम्मेवादी
5. क्या वाद चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में से आराजीयांत संख्या 832 रकबा 0.39 में प्रतिवादीगण संख्या लगायत 4 ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 गोपाल को विक्रय कर दिया तथा इस आराजीयात में प्रतिवा संख्या 2 लगायत 4 के नाम प्रतिवादी संख्या 08 का नाम जमाबन्दी में अंकित कर दिया गया –जिम्मेवादी
6. क्या वाद चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादीं का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्स प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 तक का 1/3 हिस्सा है– जिम्मेवादी
7. क्या प्रतिवादी संख्यां 3 ने जो आराजीयात प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय की व प्रतिवादी संख्या 5 ने प्रतिवा संख्या 6. को विक्रय की उसमें वादी का 1/3 हिस्सा वं प्रतिवादी संख्या 1 कां 1/3 हिस्सां तथा प्रतिवादी संख 3,4,6 का 1/3 हिस्सा है– जिम्मेवादी

Scanned with CamScanner

8. क्या प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने आराजी प्रतिवादी संख्या 08 को विक्रय की उसमें वादी का 1/3 प्रतिवादी संख्
09 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/3 हिस्सा है– जिम्मे वादी

9. क्या वादी के हिस्से की आराजीयात पूर्व में वादी के नाम दर्ज हो गई। इसका कारण वाद ग्रस्त आराजीयात वादी हिस्सा पाने का अधिकारी नही है। –जिम्मे प्रतिवादी सं.1

10. क्या वाद ग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2,3,4 का 1/2 हिस्सा –जिम्मे प्रतिवादी सं.1

11. क्या वादी को पूर्व में बटवारे से जवाब होके विशेष कथन के पैरा संख्या 03 में वर्णित अनुसार आराजीयात प्राप्त कर ली है।

12. क्या वादग्रस्त आराजीयांत में से आराजी संख्या 899 रकबा 0.23 वादी के हिस्से की रही तथा अन्य आराजीयात वादी का हिस्सा नही है –जिम्मे प्रतिवादी सं. 1

13. क्या ग्राम पानमोड़ी में वादी एवं प्रतिवादी गण की जायदाद स्थित है–जिम्मेप्रतिवादी सं. 1

14. क्या पूर्व में इन्ही वाद ग्रस्त आराजीयात बाबत वाद चला जिसमें आराजी संख्या 899 रकबा 0.23 वादी के हिस्से रही –जिम्मे प्रतिवादी सं.1

वादी की ओर से साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये –

1. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2052–55 ग्राम पानमोड़ी खाता सं० 190
2. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2056–59 ग्राम पानमोड़ी खाता सं0 208
3. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2052–55 ग्राम पानमोड़ी खाता सं0 209
4. प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2052–55 ग्राम पानमोड़ी खाता सं0 331

मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से वादी स्वयं के बयान कराये गये

प्रतिवादी. संख्या 1 की ओर से निम्नांकित दस्तावेज पेश किये गये..

1. तहरीर EXD 4, तहरीर EXD 3.

मौखिक साक्ष्य में प्रतिवादी स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया

पक्षकारन की ओर से गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन कियां गया इस प्रकरण में कुल 15 तनकीयात कायम की गई है। तनकीयात विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकीन 1 से 5. यह सभी तनकीयात वादी के जिम्मे थी और राजस्व रेकार्ड. से संबंधित है। अतः एक साथ नियत की जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी म1ए म2ए म3ए म4 से यह सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीसं० 1 से 4 के संयुक्त खाते की है। जमांबदी में लगे नोट व नकल जमांबदी म2 से यह सिद्ध है कि आ०न० 401/0.08, 413/0.41, 847/0.26, में से प्रतिवादीसं 03 राधेश्याम ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं० 05 किशोर को विक्रय कर दिया जो क्रेता के नाम जमाबंदी में दर्ज है तथा प्रतिवादी सं० 05 किशोर ने नर्बदा बाई प्रतिवादी सं० 06 को विक्रय कर दी व उनके नाम जमाबंदी में दर्ज हुई नकल जमांबंदी म 4 से यह सिद्ध है किं प्रतिवादी सं0 2,3,4 ने आ0न0 862 मे से अपना हिस्सा प्रतिवादी सं० 07 को विक्रय कर दी जो जमाबंदी में प्रतिवादी सं0 7 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी नं० 1 की ओर से इसके विपरीत कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नही किया है। तनकीन नं० 1 से 5 तक वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकीन 6,7,8 तनकी सं0 6,7,8 भी वादी के जिम्मे ही है। इनका भी एक साथ विवेचन किया जा रहा है। नंकल जमाबंदी म 1 के अनुसार यह सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 का 1/3 हिस्सा वप्रतिवादिं संख्या 2,3,4 का 1/3 हिस्सां दर्ज है। चूंकि प्रतिवादी सं० 2 ने आ०न० 401,413, व 847 में से अपना हिस्सा विक्रय कर दिया है। और नकल जमाबंदी म1 व म2 के अनुसार क्रेता के नामः दर्ज है। अतः इन आराजीयात में वादी का 1/3 प्रतिवादी, सं० 1 का 1/3 तथा प्रतिवादी सं0 3,4,6 का 1/30 हिस्सा सिद्ध है। नकल जमाबंदी में 4 के अनुसार यह. सिद्ध है कि प्रतिवादी सं० 2 से 4 ने आ०न० 962 प्रतिवादि स० 7 को विक्रय कर दी है। अतः इस नम्बरं में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1

Scanned with CamScanner

1/3 हिस्सा और प्रतिवादी सं0 7 का 1/3 हिस्सा होना है। इसके विपरीत प्रतिवादी नं0 01 की ओर से सबुत पेश नही किया गया है। अतः तनकी नं0 6,7,8 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

की नं० 09

यह तनकी प्रतिवादी न० 1 के जिम्मे थी उसकी ओर से साक्ष्य में यह तस्दीक पेश की गई ससे यह सिद्ध नहीं होता है. कि वादी के हिस्से की आराजीयात पूर्व में वादी के नाम दर्ज हो गई है। अतः यह की प्रतिवादी न० 01 के खिलाफ तय. की जांती है। तनकी नं0 10 एवं 11 यह दोंनो तनकीयात प्रतिवादी ख्या 1 के जिम्में है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तहरीर व स्वयं के स यह साबित नही होता है किं वादी इन आराजीयात में कोई हिस्सा है। क्योकी वादी की ओर से जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिया पेंश की गई है। समें उसका हिस्सा दर्ज है। इसके विपरीत प्रतिवादी यह सिद्ध नही कर पाया है कि वांदी ने पूर्व में अपना स्सा प्राप्त कर लिया है। अतः तनकी नं0 10 एवं 11 प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध तंय की जाती है।

तनकी नं0 12 यह तनकी प्रतिवादी नं0 01 के जिम्मे थी। उसकी तरफ से प्रसतुत साक्ष्य से सिद्धं ही होता है। कि वादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा हो गया है। तथा आराजी नं0 799 वादी के हिस्से में रही हो था उक्त आराजीयात में वादी का हिस्सा नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादी नं0 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती ।

तनकी नं0 13 प्रतिवादी नं० 1 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है.। जिसके आधार पर वादग्रस्त आराजीयात जायदाद सिद्ध होती है। अतः यह तनकी प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0 14 इन आराजीयात बाबत् पूर्व में कोई प्रकरण चल कर आ0न0 799 रकबा 00.23 है। वादी के हिस्से में रही हो। ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने पेश नही किया है। अतः यह तनकी प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 15 उपरोक्त तनकीवार विवेचन से तनकी नं० 1 से 8 तक वादी. के पक्ष में हुई है। और प्रतिवादी जिसकी तनकी नं0 9 से 14 तक प्रतिवादी नं० 1 के खिलाफ हुई है।

अतः प्रकरण में वादी के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी तहसीलदार प्रतापगढ़ से फर्द बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विपक्षीगण अनुपस्थित रहे।

अत : वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्रांम पानमोड़ी की निम्नांकित आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा अनुसार बंटवारा कराने का आदेश दिया जाता है।.

आराजी नं0	रकबा	विशेष विवरण
401/1	0.02	उत्तर में
411/1	0.08	उत्तर में
412/1	0.14	पुर्व में
143/1	0.13	पश्चिम में
416/1	0.06	उत्तर में
417	0.21	
799	0.23	
851/2154	0.04	
852	0.06	
847/3	0.09	उत्तर पुर्व में
862/1	0.10	मध्य में
कुल किता :— 11	कुल रकबाः— 1.16	

निर्णय आज दिनांक 07/08/2016 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
प्रतापगढ

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

डिगरी व मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 रूल 67 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

अदालत – उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ राज.
क्लास – श्री राजेश कुमार नायक R.A.S.

1. श्री वरदीचन्द पिता बगदीराम लोहार आयु 50 वर्ष पेशा काश्त निवासी–पानमोड़ी तहसील प्रतापगढ़ (राज.)

.....वादी

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता लाला जी लोहार आयु 70 वर्ष निवासी पानमोड़ी तहसील – प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री मांगीलाल पिता गुलाबचन्द लोहार आयु 47 वर्ष निवासी पानमोड़ी तहसील – प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री राधेश्याम पिता गुलाबचन्द लोहार आयु 37 वर्ष निवासी प्रतापगढ़ (राज.) पानमोड़ी तहसील –प्रतापगढ़ (राज.)
4. श्री किशोर पिता गुलाबचन्द लोहार ओयु 30 वर्ष निवासी प्रतापगढ़ (राज.) पानमोड़ी तहसील–प्रतापगढ़ (राज.)
5. श्री किशोर पिता मोतीलाल पाटीदार आयु 30 वर्ष निवासी पानमोड़ी तहसील प्रतापगढ़ (राज.)
6. श्रीमती नर्बदा पत्नि मांगीलाल लौहार आयु 32 वर्ष निवासी प्रतापगढ़ (राज.) पानमोड़ी तहसील –प्रतापगढ़ (राज.)
7. श्री गोपाल पिता गोतम गायरी आयु 42 वर्ष निवासी पानमोड़ी तहसील प्रतापगढ़
8. तहसीलदार प्रतापगढ़
9. गीता बाई पत्नि जगदीश पाटीदार निवसी पानमोड़ी

.....प्रतिवादीगण

–:वाद तहत धारा 53 रा0टी0एक्ट :–

मुकदमा नम्बर–166/2002
निर्णय दिनांक :–07/08/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी मिनजानिब मुदयलह मिनजानिब मुदई पेश होकर हुकूम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्रांम पानमोड़ी पटवार हल्का पानमोड़ी की निम्नांकित आराजीयात में वादी का 1/3 हिस्सा अनुसार बंटवारा कराने का आदेश दिया जाता है।.

आराजी नं0	रकबा	विशेष विवरण
401/1	0.02	उत्तर में
411/1	0.08	उत्तर में
412/1	0.14	पुर्व में
143/1	0.13	पश्चिम में
416/1	0.06	उत्तर में
417	0.21	
799	0.23	
851/2154	0.04	
852	0.06	
847/3	0.09	उत्तर पुर्व में
862/1	0.10	मध्य में
कुल किता :– 11	कुल रकबा:– 1.16	

तहसीलदार, प्रतापगढ को आदेशित किया जाता है कि डिकी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07/08/2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
प्रतापगढ

Scanned with CamScanner